



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शनिवार, 28 फरवरी, 2009

फाल्गुन 9, 1930 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग-1

संख्या 28/79-वि-1-09-1(क) 6-2009

लखनऊ, 28 फरवरी, 2009

अधिसूचना

विविध

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2009 पर दिनांक 27 फरवरी, 2009 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2009 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2009

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2009)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

एतद्वारा भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) अधिनियम, 2009 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) धारा 2, 3 एवं 5 दिनांक 1 नवम्बर, 1999 से प्रवृत्त हुई सगड़ी जायेगी तथा धारा 4 दिनांक 1 जनवरी, 2008 से प्रभावी हुई समझी जायेगी।

उत्तर प्रदेश
अधिनियम
संख्या 30 सन्
2007 की धारा 4
का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 2007), जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 में,—

(क) उपधारा (3) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:—

“(3-क) उपधारा (1) या उपधारा (3) में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, किसी व्यापारी या अनुवर्ती व्यापारी से कोई कर उदग्रहीत या संग्रहीत नहीं किया जायेगा, जो किसी स्थानीय क्षेत्र में ऐसा माल लाता या मंगवाता है जिसके सम्बन्ध में उक्त उपधारा के अन्तर्गत किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र में कर का भुगतान किया जा चुका हो और ऐसा व्यापारी इस आशय के लिए विहित घोषणा-पत्र ऐसे समय के अन्दर जैसा कि विहित किया जाय, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर देता है :

प्रतिबन्ध यह है कि इस धारा के अन्तर्गत जमा कर की धनराशि, उस व्यापारी या किसी अनुवर्ती व्यापारी के निमित्त और उसकी ओर से जमा गणनी जायेगी जिसे उक्त घोषणा-पत्र जारी किया गया हो।”

(ख) उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:

“(6) उपधारा (1) या उपधारा (3) में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए, किसी व्यापारी से कर उदग्रहीत या संग्रहीत नहीं किया जायेगा, जो किसी माल को स्थानीय क्षेत्र में लाता या मंगवाता है, जिसे:—

(एक) उसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग किये बिना राज्य के बाहर के किसी स्थान को पारेषित किया गया हो;

(दो) या तो अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान या भारत की सीमा के बाहर निर्यात के दौरान विक्रय या पुनर्विक्रय किया गया हो।

स्पष्टीकरण—केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 की धारा 3, धारा 5 और धारा 6-क यह अवधारित करने के प्रयोजनार्थ लागू होंगी कि अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान या भारत की सीमा के बाहर निर्यात के दौरान कोई माल बेचा गया है अथवा नहीं :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां किसी माल के स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश के समय, उस माल का मूल्य या मात्रा अविनिश्चित न हो जिसे उपभोग, उपयोग या बिक्री किए बिना माल को राज्य के बाहर ले जाने के उद्देश्य से लाया गया हो, व्यापारी माल की कुल मात्रा के मूल्य पर कर की धनराशि का भुगतान करेगा और माल के राज्य के बाहर या निर्यात के दौरान पारेषित हो जाने या बिक्री हो जाने के पश्चात, व्यापारी कर के रूप में संदत्त ऐसी धनराशि की वापसी या समायोजन का दावा उस माह में कर सकता है, जिसमें ऐसे माल के सम्बन्ध में ऐसा माल राज्य के बाहर अंतरित किया गया हो या अन्तर्राज्यीय या निर्यात के दौरान बिक्री किया गया हो

(ग) उपधारा (7) निकाल दी जायेगी।

3-मूल अधिनियम की धारा 5 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, धारा 5 का अर्थात्:- संशोधन

"5-जहाँ किसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, उपयोग या विक्री के लिए कोई व्यापारी धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित माल लाया हो या मंगवाया हो या परिदान प्राप्त किया हो और ऐसे स्थानीय क्षेत्र में ऐसे माल के प्रवेश के सम्बन्ध में कर का भुगतान किया गया हो या ऐसा माल खरीदा हो जिस पर प्रवेश कर का पहले ही भुगतान किया जा चुका हो, ऐसा कर ऐसे व्यापारी को वापस या समायोजित कर दिया जायेगा, जिसके द्वारा ऐसा माल उस स्थानीय क्षेत्र में उपयोग या उपभोग के बिना राज्य के बाहर के किसी स्थान को पारेषित कर दिया गया हो अथवा या तो अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान या भारत की सीमा क्षेत्र के बाहर निर्यात के दौरान विक्रय कर दिया गया हो।"

4-मूल अधिनियम की धारा 6 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, धारा 6 का अर्थात्:- संशोधन

"6-जहाँ धारा 4 का उपधारा (1) के अन्तर्गत विज्ञापित किसी अनुसूचित माल के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत ऐसे माल की विक्री रजिस्ट्रीकृत व्यापारी द्वारा खरीद या विक्री के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कर देय हो, राज्य सरकार, विज्ञापित के द्वारा तथा ऐसी शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन, जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाय, इस अधिनियम के अन्तर्गत उदग्रहणीय कर की सम्पूर्ण धनराशि की सीमा तक छूट अनुभन्ध कर सकती है।"

5-मूल अधिनियम की धारा 12 में:-

धारा 12 का संशोधन

(क) उपधारा (एक) में शब्द 'ऐसा माल क्रेता को नहीं देगा' के स्थान पर 'ऐसा माल क्रेता को परिदत्त नहीं करेगा' रख दिए जाएंगे।

(ख) उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:-

"(6) इस धारा में जमा कर की धनराशि उस व्यापारी के निमित्त और उसकी ओर से जमा की गयी समझी जायेगी जिससे ऐसा कर प्राप्त किया गया हो। निर्माता ऐसे कर को क्रेता व्यापारी के लिए जारी टैक्स इनवाइस या विक्री इनवाइस, जैसी भी स्थिति हो, में पृथक से दर्शायेगा। इसे कर के भुगतान का साक्ष्य समझा जायेगा, जब तक कि टैक्स इनवाइस या सेल इनवाइस, जैसी भी स्थिति हो, कूटरचित या गिथ्या या फर्जी न पायी जाय या वैधानिक रूप से जारी न की गयी हो या कपटपूर्वक प्राप्त न की गयी हो।"

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2007 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 2007) स्थानीय क्षेत्र में माल के उपभोग, प्रयोग या विक्रय के लिए प्रवेश पर कर उदग्रहण और संग्रह की व्यवस्था करने के लिए अधिनियमित किया गया है। कर व्यवस्था को सरल करने और कतिपय विसंगतियों को दूर करने की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त अधिनियम को मुख्य रूप से निम्नलिखित व्यवस्था करने के लिए संशोधित किया जाए,-

(क) किसी व्यापारी या अनुवर्ती व्यापारी से कोई कर स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर उदग्रहीत या संग्रहीत नहीं किया जाएगा यदि ऐसे माल पर कर का भुगतान किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र में कर दिया गया है;

(ख) उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत कर के भुगतान का दायित्व किसी स्थानीय क्षेत्र में ऐसे माल के प्रवेश के पूर्व अथवा बाद में प्रोद्भूत हो चक़्त अधिनियम के अधीन कर की संपूर्ण धनराशि तक छूट अनुमन्य करने के लिए राज्य सरकार को सशक्त किया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2009 तदनुसार पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
प्रताप वीरेन्द्र कुशवाहा,
सचिव।

No. 500(2)/LXXIX-V-1-09-1(ka)6-2009

Dated Lucknow, February 28, 2009

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Sthaniya Kshetra Mein Mal Ke Pravesh Par Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2009 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 8 of 2009) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on February 27, 2009.

THE UTTAR PRADESH TAX ON ENTRY OF GOODS INTO LOCAL AREAS
(AMENDMENT) ACT, 2009

(U. P. Act no. 8 of 2009)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 2007.

IT IS HEREBY enacted in the Sixtieth Year of the Republic of India as follows:--

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Areas (Amendment) Act, 2009.

(2) Sections 2, 3 and 5 shall be deemed to have come into force on November 01, 1999 and section 4 shall be deemed to have come into force on January 01, 2008.

Amendment of section 4 of Uttar Pradesh Act no. 30 of 2007

2. In section 4 of the Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 2007 (U.P. Act no. 30 of 2007), hereinafter referred to as the principal Act,—

(a) after sub-section (3) the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(3A) Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-section (1) or sub-section (3), no tax shall be levied on or collected from a dealer or subsequent dealer who brings or causes to be brought into a local area any goods in respect of which tax has been paid in any other local area under any of the said sub-sections and such dealer furnishes before the concerned assessing authority the prescribed declaration in regard thereto within such time as may be prescribed:

Provided that the amount of tax deposited under this section shall be deemed to have been deposited for and on behalf of such dealer or any subsequent dealer to whom above prescribed declaration has been issued."

(b) for sub-section (6) the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(6) Notwithstanding anything to the contrary contained in sub-section (1) or sub-section (3), no tax shall be levied on or collected from a dealer who brings or causes to be brought into a local area any goods which are, -

(i) consigned without using them in the local area to any place outside the State; or

(ii) sold or re-sold either in the course of inter-State trade or commerce or in the course of export out of the territory of India,

Explanation :- Section 3, section 5 and section 6-A of the Central Sales Tax Act, 1956 shall apply for the purpose of determining whether or not any goods has been sold by a dealer in the course of inter-State trade or commerce or in the course of export out of the territory of India:

Provided that where at the time of entry of goods into a local area, the quantity or value of goods to be sold within such local area for the purpose of being taken outside the State without consumption, use or sale in such local area, is not ascertainable, the dealer shall pay the amount of tax on the value of total quantity of goods and after the goods are consigned or sold outside the State or in the course of export, the dealer may claim refund or adjustment of the amount so paid as tax in the month in which such goods are transferred outside the State or sold in the course of inter-State trade or commerce or in the course of export, in respect of such goods."

(c) sub-section (7) shall be deleted.

3. For section 5 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :-

Amendment of section 5

"5. Where any dealer has brought or has caused to be brought or has taken delivery of any goods notified under sub-section (1) of section 4 on its entry into a local area for consumption, use or sale therein and has paid tax in respect of entry of such goods into such local area or purchased such goods on which entry tax has already been paid, such tax shall be refunded or adjusted to such dealer by whom without using them in the local area such goods are consigned to any other place outside the State or are sold either in the course of inter-State trade or commerce or in the course of export outside the territory of India."

4. For existing section 6 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely :-

Amendment of section 6

"6. Where in respect of any scheduled goods notified under sub-section (1) of section 4, tax is payable in respect of a sale or purchase of such goods under the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008 by a dealer registered under the said act, the State Government may, by notification and subject to such conditions and restrictions, as may be specified therein, allow a rebate upto the full amount of tax leviable under this Act."

5. In section 12 of the principal Act,-

Amendment of section 12

(a) in sub-section (1) for the words "shall not give such goods" the words "shall not deliver such goods" shall be substituted;

(b) after sub-section (5) the following sub-section shall be inserted, namely :-

"(6) The amount of tax deposited under this section shall be deemed to have been deposited for and on behalf of the dealer from whom such tax has been received. The manufacturer shall mention the amount of such tax in the tax invoice or sale invoice, as the case may be, issued to the purchasing dealer. It shall be deemed to be the proof for deposit of tax unless the tax invoice or sale invoice, as the case may be, is found forged or bogus or fake or not validly issued or obtained fraudulently."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 2007 (U. P. Act no. 30 of 2007) has been enacted to provide for levy and collection of tax on entry of goods into a local area for consumption, use or sale therein. With a view to simplifying tax system and removing certain anomalies, has been decided to amend the said Act mainly to provide that,—

(a) no tax shall be levied on or collected from a dealer or subsequent dealer on entry of goods into a local area if the tax on such goods has been paid in any other local area;

(b) the State Government is being empowered to allow rebate upto the full amount of tax under the said Act whether the liability for payment of tax under the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008 has accrued before or after entry of such goods into any local area.

The Uttar Pradesh Tax on Entry of Goods into local Areas (Amendment) Bill, 2009 is introduced accordingly.

By order,
P. V. Kushwaha,
Sachiv.

गी०एस०यू०पी०-ए०पी० 1028 राजपत्र-(हि०)-2009-(2225)-597 प्रतियां-(कम्प्यूटर/आफसेट)।

गी०एस०यू०पी०-ए०पी० 183 सा० विधा०-2009-(2226)-850 प्रतियां-(कम्प्यूटर/आफसेट)।